मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 28 फरवरी, 2008 (फाल्गुन 9, 1929)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रो का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, ऊर्जा मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार-

(क) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006,

(ख) मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006 तक), तथा

(ग) मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007,

पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 34-एक-(8)-12-07-दो-अड़तालीस, दिनांक 8 जनवरी, 2008 पटल पर रखेंगे.

3. नवम्बर-दिसम्बर, 2007 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

4. नियम 267-क के अधीन नवम्बर-दिसम्बर, 2007 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

5. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

6. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, मध्यप्रदेश खनिज निगम द्वारा बाक्साईड की खदानों के उत्खनन हेतु किये गये अनुबंध में अनियमितता होने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

7. सभापति तालिका की घोषणा.

8. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री जगदीश मुवेल, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है.".

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

डॉ गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड एवं रीवा जिले के -

(क) भिण्ड जिले के ग्राम झिमका की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाये जाये,

(ख) रीवा जिले के ग्राम देवा (डलियाटोला) में हैंडपंप उत्खनन कराये जाने, तथा

(ग) रीवा जिले के ग्राम देवास में बिजली समस्या हेतु एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

10. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री कैलाश चावला, सदस्य, द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2008 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा.

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं. "

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 27 फरवरी, 2008